आयुष्मान भारत : स्वास्थ्य की दिशा में सार्थक पहल

–आशुतोष कुमार सिंह

आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर 40 फीसदी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाई है। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इस योजना के लाभार्थी अपने परिवार का इलाज करा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की है। इसने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 2008 में पेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा की जगह ली है जिसमें 30,000 रुपये का सालाना बीमा कवर दिया गया था।

किसी भी राष्ट्र–राज्य के लिए स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। देश को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सरकारों ने हमेशा से प्रयास किए हैं। कई बार सरकारी प्रयास उस दिशा में नहीं होता, जिस दिशा में होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्वास्थ्य को लेकर सरकारी–स्तर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार चाहती हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएं। यही कारण है कि भारत सरकार स्वास्थ्य को लेकर अभियान चलाने से लेकर नीति बनाने तक कहीं भी पीछे नजर नहीं आ रही है। सरकार का प्रयास स्वास्थ्य के अधिकार की ओर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा हैं। यह बात इसलिए भी कह पा रहा हूं क्योंकि भारत सरकार की स्वास्थ्य नीतियों में पिछले 3–4 वर्षों में जो बदलाव नजर आए हैं, उसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। इस वर्ष भी बजट में सरकार ने स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया है। इस लेख में स्वास्थ्य बजट में घोषित नई योजनाओं के साथ सरकार की अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं एवं नीतियों की चर्चा भी की गई है। शायद तभी हम यह समझ पाएंगे कि सरकार 'स्वास्थ्य' को कितने बड़े फलक पर देख रही है। सरकार की नीतियों के केंद्रबिंदु में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यही कारण है कि पिछली बार के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा बजट स्वास्थ्य क्षेत्र को मिला है। इस बार 52,800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है जबकि पिछली बार यह राशि 47,352.51 करोड़ रुपये थी।

सबसे पहले बात करते हैं बजट की। वर्ष 2018–19 के बजट में स्वस्थ भारत के लक्ष्य पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भारत सरकार ने 2018–19 के बजट में स्वास्थ्य के लिए 'आयुष्मान भारत' नाम से बड़ी फ्लैगशिप योजना को लांच करने का ऐलान किया है। बजटीय भाषण में नेशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन स्कीम की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जिसे 'मोदी केयर' भी कहा जा रहा है, ट्रस्ट मॉडल या इंश्योरेंस मॉडल पर काम करेगा। रीईंबर्स मॉडल की संभावना यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि इसमें बहुत गड़बड़ियां होती हैं। यानी, योजना का लाभ उठाने वाले गरीब मरीजों का इंश्योरेंस किया जाएगा और उनका कैशलेस इलाज किया जाएगा। अर्थात खुद के खर्चे से इलाज करवाकर सरकार से पांच लाख रुपये तक की रकम वापस पाने का झंझट नहीं होगा। यह योजना 1 अप्रैल, 2018 से लागू होने की संभावना व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि नीति आयोग के अधिकारियों के बयान को माना जाए तो इस योजना को 15 अगस्त, 2018 अथवा 2 अक्तूबर 2018 को लागू किया जा सकता है। 'आयुष्मान भारत' योजना की पूरे देश में तारीफ हो रही है। भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर देश के 40 फीसदी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाई है। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इस योजना के लाभार्थी अपने परिवार का इलाज करा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की है। इसने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए वर्तमान में चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जगह ली है जिसमें

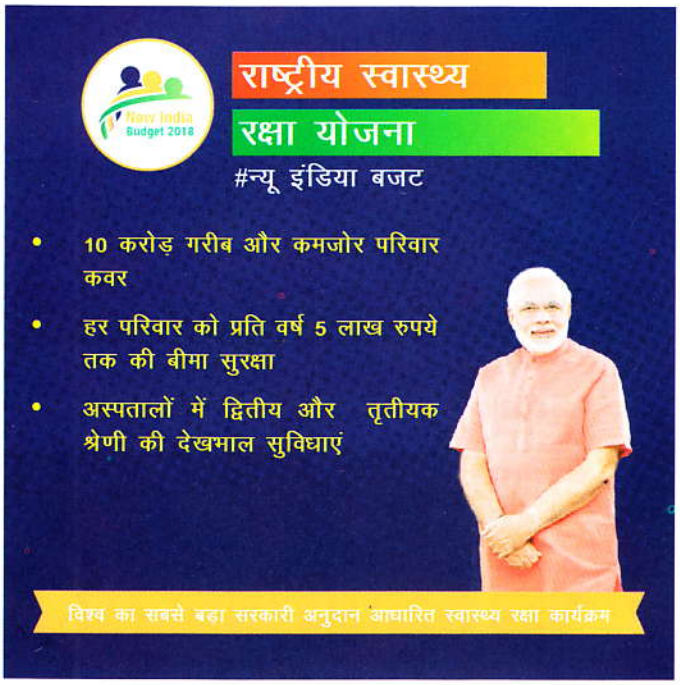

30,000 रुपये का सालाना बीमा कवर दिया गया था। इस बाबत मीडिया को वित्तमंत्री ने बताया कि नीति आयोग ने इस योजना की परिकल्पना की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जीवनभर काम करने वालों ने उनके और फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रजेंटेशन दिया था। श्री जेटली ने कहा, उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थकेयर स्कीम का प्रेजेंटेशन दिया था। चूंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इसलिए हमने सभी 25 करोड़ परिवारों की जगह 10 करोड़ परिवारों से शुरुआत की ताकि योजना प्रभावी तौर पर लागू हो सके।

गौरतलब है कि इस योजना के लिए जारी धन को लेकर विरोधी पार्टियों की आलोचना झेल रहे वित्तमंत्री ने एक टीवी चैनल को दिए अपने साक्षात्कार में बताया कि इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था बना रखी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने लॉंग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगाया है। इससे जो अतिरिक्त कर की प्राप्ति होगी एवं साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए एक फीसदी लगे सेस से जो अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी उससे इस योजना को आसानी से चलाया जा सकेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी जेब से खर्च करने के मामले में मध्यम आय वाले 50 देशों में भारत का स्थान छठा है। देश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर देना जरूरी है। गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण 56 फीसदी शहरी और 49 फीसदी ग्रामीण निजी अस्पतालों में भारी–भरकम राशि देकर इलाज कराता है। ऐसे में जब 40 फीसदी लोगों की सेहत की सुरक्षा सरकार उठा लेगी तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

आरोग्य केंद्र

देशभर में डेढ़ लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलना, जो जरूरी दवाएं और जांच सेवाएं फ्री में मुहैया कराएंगे। इन सेंटरों में गैर–संक्रामक बीमारियों और जच्चा–बच्चा की देखभाल भी होगी। इतना ही नहीं, इन सेंटरों में इलाज के साथ–साथ जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों, मसलन हाई ब्लडप्रेशर, डाइबिटीज और टेंशन पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार ने इस मद में 1200 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। सरकार इन केंद्रों को चलाने के लिए उद्योग घरानों का भरपूर सहयोग चाहती है।

नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल

देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए 24 जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोले जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि हर तीन संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अभी देश में प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से हर साल 67 हजार एमबीबीएस और 31 हजार पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) डॉक्टर निकल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्स के दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा था कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में इलाज

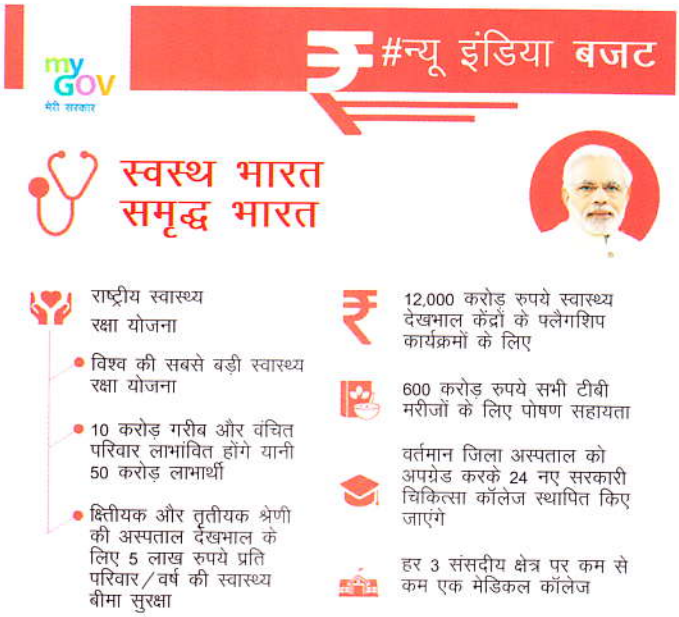

के लिए डॉक्टरों की यह तादाद बहुत कम है। इस दिशा में सरकार का यह कदम सराहनीय तो है ही, साथ ही नई स्वास्थ्य नीति के संकल्पों के अनुरूप भी है।

टीबी के खिलाफ मुहिम

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने टीबी के रोगियों को हर महीने 500 रुपये देने का इंतजाम किया है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने 2025 तक देश से टीबी के खात्मे का लक्ष्य रखा है और इसके लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत दुनिया का ऐसा देश है, जहां चीन के बाद टीबी के सबसे ज्यादा मरीज हैं। यहां हर साल टीबी के करीब 28 लाख नए केस सामने आते हैं और करीब 5 लाख मरीजों की मौत हो जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017

वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई। 15 मार्च, 2017 को मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 को अपनी स्वीकृति दी। एनएचपी 2017 में बदल रही सामाजिक, आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थिति और उभर रही चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी मंतव्य को दर्शाया गया है। एनएचपी 2017 में सरकार ने यह संकल्प लिया है कि 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत सरकार स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का बड़ा पैकेज उपलब्ध कराने के प्रति कृत संकल्प है। इसी संकल्प का असर इस बार के बजट में भी देखने को मिला है।

इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए संभव उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य प्राप्त करना, रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय बोझ रहित गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं की

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रमुख पहल

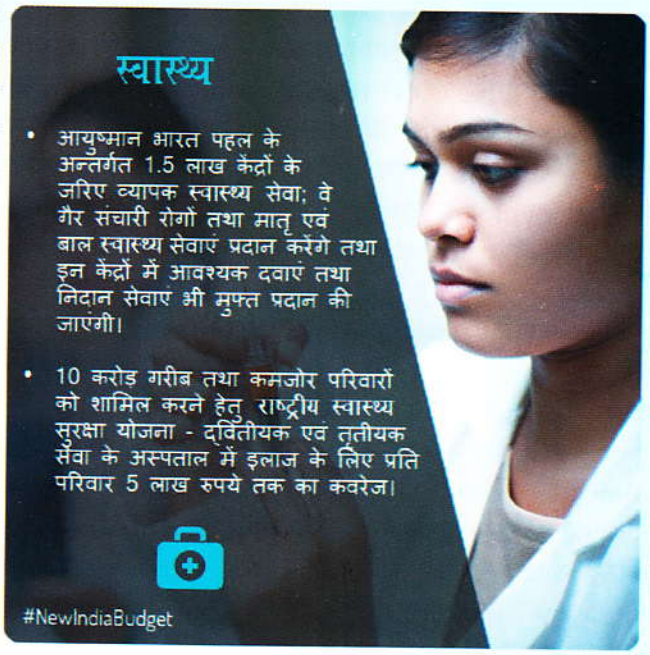

सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य मानव विकास का हृदय है। सरकार एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली और जनकेंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जोकि लोगों के घरों के नजदीक हो। 'आयुष्मान भारत' के तहत सरकार ने जिन दो दूरगामी पहलों की घोषणा की है वे 2022 तक नए भारत का निर्माण करेंगी। इससे संवर्धित उत्पादकता कल्याण में वृद्धि होगी और इनसे मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केंद्र, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लोगों के घरों के नजदीक लाएंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराएंगे। यह केंद्र आवश्यक दवाइयां और नैदानिक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराएंगे।

'आयुष्मान भारत' के तहत दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। हम सब जानते हैं कि देश में लाखों परिवारों को अस्पतालों में अंतरंग इलाज कराने के लिए उधार लेना पड़ता है या संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं। सरकार ऐसे परिवारों के प्रति चिंतित है। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीब परिवारों को 30,000 रुपये की वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। अनेक राज्य सरकारों ने भी कवरेज में विविधता उपलब्ध कराके स्वास्थ्य संरक्षण योजनाएं कार्यान्वित/अनुपूरित की हैं। अब हमारी सरकार ने स्वास्थ्य संरक्षण को और अधिक आकांक्षा वाला स्तर प्रदान करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के इलाज हेतु कवरेज दिया जा रहा है। इस योजना के लिए इस वर्ष 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राज्यों के पास इस योजना को लागू करने के लिए ट्रस्ट मॉडल या बीमा कंपनी आधारित मॉडल अपनाने का विकल्प है हालांकि ट्रस्ट मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत ये दो दूरगामी योजनाएं वर्ष 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करेंगी और इनसे संवर्धित उत्पादकता, कल्याण में वृद्धि होगी और इनसे मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा। इन योजनाओं से, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे। सरकार सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज के लिए स्थायी रूप से किन्तु निश्चित रूप से उत्तरोत्तर अग्रसर है।

किसी दूसरी संक्रामक बीमारी की तुलना में टी.बी. से हर वर्ष अधिक जानें जाती हैं। यह मुख्य रूप से गरीब और कुपोषित लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए सरकार ने टी.बी. से पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार की अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पोषाहार सहायता प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित की है। गुणवत्तायुक्त चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख की पहुंच में और वृद्धि करने के उद्देश्य से, हम देश में मौजूद जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक चिकित्सा कॉलेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी चिकित्सा कॉलेज हो। इसके अतिरिक्त सिक्किम में सरकारी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना की जाएगी क्योंकि वहां अभी एक भी सरकारी चिकित्सा कॉलेज नहीं है। उपरोक्त पहलों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 60:40 होगी।

सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है। सरकार अपने इस संकल्प को भी इस बार के बजट में पूरा करने का प्रयास करती हुई नजर आई है।

सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ग्रामीण–स्तर तक ले जाना चाहती हैं, इसके लिए सरकार का ध्यान गुणवत्ता में सुधार एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत में कमी करने का है। एनएचपी 2017 में संसाधनों का बड़ा भाग (दो तिहाई या अधिक) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार चाहती है कि प्रति एक हजार की आबादी पर दो बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।

इसके लिए नए अस्पतालों के निर्माण पर सरकार का विशेष ध्यान है जिसकी झलक इस बार के बजट में भी दिखी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 पर संसद के दोनों सदनों में 16 मार्च, 2017 को दिए अपने वक्तव्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा था कि, 'मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित कर दिया है। यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 बनाई है। पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बनाई गई थी। इस प्रकार, यह नीति बदलते सामाजिक–आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी विज्ञान परिदृश्य में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 15 साल के अंतराल के बाद अस्तित्व में आई है।'

दरअसल सरकार स्वास्थ्य सेवा की एक ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटी है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों की भागीदारी हो सके। निजी क्षेत्रों की मजबूती का फायदा आम नागरिकों को देने के लिए नई स्वास्थ्य नीति में विशेष जोर दिया गया है। नई स्वास्थ्य नीति 2017 को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

1. आश्वासन आधारित दृष्टिकोण– रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित करते हुए आश्वासन आधारित दृष्टिकोण पर बल दिया गया है।
2. स्वास्थ्य कार्ड को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना– देश में कहीं भी सेवाओं के परिभाषित पैकेज के लिए स्वास्थ्य कार्ड को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की सिफारिश की गई है।
3. रोगी केंद्रित दृष्टिकोण– रोगी देखभाल, सेवाओं के मूल्य, लापरवाही तथा अनुचित व्यवहारों से संबंधित विवादों/शिकायतों के समाधान के लिए अधिकार–संपन्न चिकित्सा अधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की गई है। साथ ही प्रयोगशालाओं और इमेजिंग सेंटरों तथा उभर रही विशेषज्ञ सेवाओं के लिए मानक नियामक ढ़ांचा स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।
4. पोषक तत्वों की कमी– पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न कुपोषण को घटाने पर बल तथा सभी क्षेत्रों में पोषक तत्व की पर्याप्तता में विविधता पर ध्यान देने की बात कही गई है।
5. देखभाल गुणवत्ता– सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें गुणवत्ता–स्तर का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।
6. मेक इन इंडिया पहल– दीर्घकालिक दृष्टि से भारतीय आबादी के लिए देश में बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को संवेदी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
7. डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली– चिकित्सा सेवा प्रणाली की दक्षता और परिणाम को सुधारने के लिए डिजिटल उपायों की व्यापक तैनाती पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तथा कार्यदक्षता, पारदर्शिता और सुधार करने वाली एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थापित करना है।
8. महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक खरीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सरकार ने इस बजट में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक–2017 से आएंगे क्रांतिकारी बदलाव

स्वास्थ्य शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017 लेकर आई है। मंत्रिमंडल ने 15 दिसम्बर, 2017 को इसे स्वीकृत किया था। फिलहाल संसद पटल पर रखने के बाद इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्न हैं–

- चिकित्सा परिषद 1956, अधिनियम को बदलना।
- चिकित्सा शिक्षा सुधार के क्षेत्र में दूरगामी कार्य करना।
- प्रक्रिया–आधारित नियमन के बजाए परिणाम–आधारित चिकित्सा शिक्षा नियमन।
- स्वशासी बोर्डों की स्थापना करके नियामक के अंदर उचित कार्य विभाजन सुनिश्चित करना।
- चिकित्सा शिक्षा में मानक बनाए रखने के लिए उत्तरदायी और पारदर्शी प्रक्रिया बनाना।
- भारत में पर्याप्त स्वास्थ्य कार्यबल सुनिश्चित करने का दूरदर्शी दृष्टिकोण।

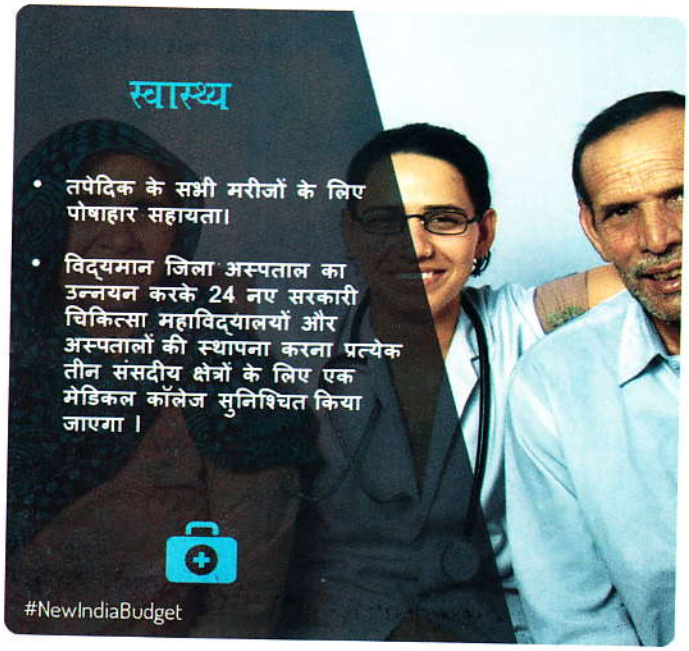

- नए कानून के संभावित लाभ
- चिकित्सा शिक्षा संस्थानों पर कठोर नियामक नियंत्रण की समाप्ति और परिणाम–आधारित निगरानी व्यवस्था।
- राष्ट्रीय लाइसेंस परीक्षा लागू करना। यह पहला मौका होगा जहां देश के किसी उच्च शिक्षा क्षेत्र में ऐसा प्रावधान लागू किया गया है जैसा कि पहले नीट तथा साझा काउंसलिंग लागू करके किया गया था।
- चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को उदार और मुक्त बनाने से यूजी और पीजी सीटों की संख्या बढ़ेगी और इस अवसंरचना क्षेत्र में नया निवेश बढ़ेगा।
- आयुष चिकित्सा प्रणाली के साथ बेहतर समन्वय।
- चिकित्सा महाविद्यालयों में 40 प्रतिशत सीटों के नियमन से किसी भी वित्तीय स्थिति के सभी मेधावी विधार्थियों की मेडिकल सीटों तक पहुंच।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन

केंद्र ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास राष्ट्रीय पोषण मिशन को पिछले वर्ष स्वीकृति दी थी, जिसका उद्देश्य कुपोषण के अंतरपीढ़ी चक्र को रोकने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाना है। इसका उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करना है। इसके लिए सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए 9046.17 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया है। वित्तवर्ष 2017–18 में 315 जिले, 2018–19 में 235 जिले तथा 2019–20 में शेष जिले कवर किए जाने की योजना है।

अधिनियम में भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए आधार–आधारित वैधानिक ढांचा अपनाया गया है। इसमे मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और उनके लिए अधिक से अधिक देखभाल और सम्मान के साथ जीवन सुनिश्चित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में समानता को मजबूत बनाया गया है।

एचआईवी और एड्स (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 2017 : इसके तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य के तहत 2030 तक इस महामारी को खत्म करने का लक्ष्य है। कोई भी व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित हो, उसके साथ रोजगार, शैक्षणिक संस्थानों, मकान को किराए पर देने, दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं और बीमा सेवाओं के मुद्दे पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)

भारत का यूआईपी दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.7 करोड़ नवजात बच्चों के टीकाकरण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है। 90 लाख से अधिक टीकाकरण सत्र हर साल आयोजित किए जाते हैं। यह दुनिया में सबसे अधिक लागत प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप कार्यक्रम है।

यूआईपी के तहत नए प्रयास

मिशन इंद्रधनुष : भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की (एमआई) शुरुआत की। इसके तहत (लक्षित कार्यक्रम) उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो टीकाकरण से वंचित हैं या जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगाया गया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत दो राउंड के दौरान पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज में वृद्धि की वार्षिक दर 1 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई है।

इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 जून, 2017 को वडनगर, गुजरात से तीव्र मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) की शुरुआत हुई। 16 राज्यों के 121 जिलों, पूर्वोत्तर राज्यों के 52 जिलों और 17 ऐसे शहरी इलाकों को चुना गया है जहां मिशन इंद्रधनुष और यूआईपी के दोहरे चरणों के बावजूद टीकाकरण की कवरेज बहुत कम है। दिसंबर 2018 तक 90 प्रतिशत से अधिक की पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज का कार्यक्रम भी लक्षित है। अक्टूबर और नवंबर 2017 में आईएमआई के दो दौर के दौरान 190 जिलों और शहरी क्षेत्रों में कुल 39.19 लाख बच्चों और 8.09 लाख गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव–पूर्व देखभाल निःशुल्क प्रदान करना है। 2017 तक इस अभियान के तहत व्यापक सेवाओं के लिए पीएमएसएमए साइटों पर 90 लाख से अधिक प्रसव–पूर्व परीक्षण किए गए हैं। साथ ही 5 लाख से अधिक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान की गई है।

इंटेंसिफाईड डायरिया नियंत्रण पाक्षिक

2014 के बाद से हर साल जुलाई–अगस्त के दौरान 'बाल बचपन के कारण शून्य बच्चे की मौत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। 2017 (जुलाई–अगस्त) में पांच वर्ष से कम उम्र के 7 करोड़ से अधिक बच्चे ओआरएस की सुविधा के लिए आशा केंद्रों तक पहुंचे।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 4 डी पर नियंत्रण के लिए बच्चों की जांच और निःशुल्क उपचार के लिए फरवरी 2013 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। 4 डी में विकलांगता सहित जन्म, रोग, कमियों और विकास विलंब पर दोष शामिल है। इसके तहत सितंबर, 2017 तक 29 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में 11020 टीमें कार्यरत हैं। 92 जिलों में प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) काम कर रहे हैं।

नेशनल डीवर्मिंग डे

एसटीएच संक्रमण का मुकाबला करने के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनडीडी नामक एक ही दिन की रणनीति को अपनाया

है, जिसमें स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से 1–19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अल्बेंडाजोल की एक खुराक दी जाती है। 88 प्रतिशत कवरेज के साथ 2017 में 50.6 करोड़ बच्चों को दो राउंड (फरवरी और अगस्त) में शामिल किया गया था।

किशोरावस्था के अनुकूल स्वास्थ्य किलीनिक ये किशोरों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के संपर्क के पहले स्तर के रूप में कार्य करते हैं। आज तक देश भर में 7632 एएफएचसी स्थापित किए गए हैं और करीब 29.5 लाख किशोरों ने 2017–18 की दूसरी तिमाही के दौरान सेवाओं का लाभ उठाया है।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्रामः इसमें स्कूली लड़कों और लड़कियों के लिए साप्ताहिक पर्यवेक्षण आईएफए गोलियों के प्रावधान और पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा अल्बेन्डाजोल की गोलियां शामिल हैं। वर्ष 2017–18 की दूसरी तिमाही तक 3.9 करोड़ किशोर लड़कें और लड़कियां लाभान्वित हुए।

मासिक धर्म स्वच्छता योजना : यह योजना ग्रामीण इलाकों में किशोरियों के लिए लागू की जा रही है। सेनेटरी नैपकिन की खरीद को वर्ष 2014 से विकेंद्रीकृत किया गया है। टेंडर प्रक्रिया के तहत सेनेटरी नैपकिन की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए एनएचएम के माध्यम से 42.9 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जबकि आठ राज्य, राज्य निधि के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

पीयर एजुकेशन प्रोग्राम : इस कार्यक्रम के तहत चार पीयर एडुकेटर्स (साथी) – स्वास्थ्य समस्याओं पर किशोरों को जानकारी देने के लिए प्रति 1000 आबादी के लिए दो पुरुष और दो महिलाओं का चयन किया जाता है। पीयर एजुकेशन प्रोग्राम को 211 जिलों में लागू किया जा रहा है, अब तक 1.94 लाख पीई को चुना गया है इसके साथ ही एएनएम और पीयर शिक्षक के लिए प्रशिक्षण जारी है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

एनएचएम के तहत पीपीपी मोड में सभी जिला अस्पतालों में 'राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम' का समर्थन किया जाना चाहिए। एनएचएम सहायता के तहत गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाओं का प्रावधान राज्यों/संघशासित प्रदेशों को प्रदान किया गया है। जुलाई 2017 तक 1.77 लाख से अधिक मरीजों ने 19.15 लाख से अधिक डायलिसिस सत्रों के साथ सेवाओं का लाभ उठाया है।

प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में लोगों को सस्ते दामों में क्वॉलिटी मेडिसिन मुहैया कराई जाती है। दिसंबर 2017 तक सभी राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों में 3,013 जन औषधि केंद्र चलाए जा रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की शुरुआत की थी। इसका यह लक्ष्य रखा गया था कि 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से राष्ट्र मुक्त (ओडीएफ) हो जाए। इसका सकारात्मक परिणाम आया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार 2 अक्टूबर, 2014 को एसबीएम के शुभारंभ पर स्वच्छता क्षेत्र 38.70 प्रतिशत था। यह फरवरी 2018 को बढ़कर 76.25 प्रतिशत तक पहुंच गया। घर–घर में शौचालय का निर्माण होने लगा है। सरकारी एवं गैर–सरकारी दोनों स्तरों पर इस योजना को सफल बनाने में सहायता एवं सहयोग मिला है।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण के इस युग में खुद को सेहतमंद बनाए रख पाना आसान नहीं रह गया है। खासतौर से उस समय जब सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय प्रदूषण तेजी से बढ रहा हो। संयुक्त राष्ट्र ने कुछ समय पूर्व खुशहाल देशों की वैश्विक सूची जारी की थी जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एवं बाग्लादेश हमारे देश से ऊपर निकल गए। 155 देशों की सूची में हम 122 वें स्थान पर रहे। यह स्थिति यह बताने के लिए काफी है कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के लोगों के लिए स्वास्थ्य एक प्रमुख विषय बनता जा रहा है। इस संदर्भ में सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत सरकार भी इन सभी बातों को बेहतर तरीके से समझने लगी है। यही कारण है कि आज स्वास्थ्य पर सरकार का इतना जोर है। उपरोक्त जितनी योजनाओं का जिक्र इस आलेख में किया गया है उससे इतर भी लोगों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चला रही है जैसे मिशन परिवार विकास, परिवार नियोजन – उपस्कर प्रबंधन सूचना प्रणाल, स्वास्थ्य और सशक्त केंद्र, मुफ्त निदान सेवा पहल, कैंसर, मधुमेह और स्ट्रोक के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, मधुमेह, हाइपरटेंशन और कॉमन कैंसर के लिए जनसंख्या–आधारित स्क्रीनिंग, एनपीसीडीसीएस के साथ आयुष का एकीकरण, अमृत (उपचार के लिए उचित मेडिकल और विश्वसनीय प्रत्यायोजन), ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इस वर्ष जारी बजट से स्पष्ट हो गया है कि सरकार गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा को गांवों तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रही है।

अब जरूरत इस बात की है कि देश का प्रत्येक आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद जागरूक हो, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को ठीक से समझे और उसका लाभ उठाए ताकि महंगी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण किसी भी भारतीय को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहना पड़े।

(लेखक स्वस्थ भारत अभियान से जुड़े हैं। सामाजिक मुद्दों और स्वास्थ्य पर लिखते रहते हैं।)
ई–मेल : forhealthyindia@gmail.com